27/6/19

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बालेसर

मोहनराम पुत्र जीयाराम बनाम भगाराम पुत्र मानारा वगैराह

केस्म मुकदमा 212 राज. का. अधि. 1955 मुकदमा नम्बर 03/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
14.01.2019	प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के सलंग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। अतः अप्रार्थीगण संख्या 01 से 08 को आगामी पेशी तारीख 13.02.2019 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निशेधाज्ञा से पांबद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निशेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित बेलवा राणाजी हल्का बेलवा राणाजी तहसील बालेसर में स्थित खसरा नम्बर 1171 रकबा 11.12 बीघा बीघा भूमि में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप कारित नही करे तथा न ही भूमि का विशिष्ठ भू–भाग दर्शाकर बैचान, हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य करें। आगामी पेशी तक मौके एंव रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 13.02.2019 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बालेसर	
13/2/19	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/[illegible] कार्य/राजकीय दौरे पर है। पत्रावली [illegible] दिनांक 25/4/19 को पेश हो। स्थगन आदेश आगामी पेशी तक बढाया जाता है।	
25/4/19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। आगामी पेशी पर समन तामील A.D से प्रेषित करने हेतु इसलिए पेश करे। स्थगन आदेश आगामी पेशी तक बढाया जाता है। पत्रावली दिनांक 27/6/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.08.27 15:51:35 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
28/1/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगणो द्वारा जवाब प्रस्तुत नही एवं न ही अप्रार्थीगण उपस्थित। अतः अप्रार्थीगणो का जवाब बन्द किया जाता है। पत्रावली मे बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन मूलभूत बिंदुओ पर पत्रावली का अवलोकन किया :– 1. प्रथम दृष्टतया मामला :– राजस्व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थी का नाम दर्ज है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का रेकर्ड खातेदार है। अतः प्रथम दृष्टतया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होता है। 2. सुविध का संतुलन :–प्रार्थीगण उक्त विवादग्रस्त भूमि के रेकार्ड खातेदार है। वादग्रस्त भूमि पर जो सुविधा प्रार्थी प्राप्त कर सकता है वह सुविधा अप्रार्थीगण जबतक रेकार्ड खातेदार नही हो जाते है तबतक प्राप्त नही कर सकते है परन्तु जबतक वाद न्यायालय मे विचाराधीन है अगर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड एवं मौकी स्थिति मे परिवर्तन होता है तो इससे वाद की बहुलता बडेगी। अतः सुविधा का संतुलन आज के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होता है। 3. अपूरनीय क्षति :– वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड मे अगर किसी प्रकार का फेरबदल या वादग्रस्त आराजी का बेचान होता है तो इसमें प्रार्थीगणो को अपूरणीय क्षति होगी। अतः उक्त स्थिति के तहत अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्धारित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उक्त बिंदुओं के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मौजा बेलवा राणाजी पटवार हल्का बेलवा राणाजी तहसील बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण के खसरा नम्बर 1171 की भूमि के राजस्व रेकर्ड पर अस्थाई निषेद्याज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक लागू की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Bhawani Singh Date: 2025.08.27 15:50:35 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी	